

Most Urgent/
Time Bound

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

सहायक निदेशक,
औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य,
आई0टी0 सैल, मुख्यालय चण्डीगढ़।

क्रमांक: स्था0/01/2021/
दिनांक:

Subject:- Regarding providing of email ids (NIC only).
.....

सचिव, हरियाणा सेवा अधिकार आयोग, चंडीगढ़ से प्राप्त पत्र क्रमांक 1013-47/Secretary/
HRTSC/2021 दिनांक 20.07.2021 के संदर्भ में।

विषयोक्त मामलें में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत श्रम विभाग, हरियाणा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड एवं हरियाणा भवन एवम अन्य सर्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 33 सेवाओं को इस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है, जिनमें प्रधान सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम विभाग/श्रम आयुक्त/कल्याण आयुक्त/उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य/उप श्रम आयुक्त(कल्याण)/सहायक श्रम आयुक्त इत्यादि को बतौर प्रथम व द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण घोषित किया हुआ है। इन सेवाओं से सम्बन्धित प्रथम व द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण की एन0आई0सी0 द्वारा जारी ई-मेल आई0डी0 की सूचना हरियाणा सेवा अधिकार आयोग को भेजी जानी है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप उपरोक्त सभी सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालयों की एन0आई0सी0 ई-मेल आई0डी0 बनवाने में सहयोग करें।

कृप्या इसे परम अग्रता दें।

- Sd/-
अधीक्षक (स्था0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृ0क्रमांक: स्था0/01/2021/17734-77 दिनांक: 02/08/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजते हुए सूचित किया जाता है कि यदि एन0आई0सी0 ई-मेल आई0डी0 बनवाने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, आई0टी0 सैल मुख्यालय चण्डीगढ़ से सम्पर्क कर सकते हैं:-

- 1 निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।
- 2 संयुक्त सचिव, हरियाणा भवन एवम अन्य सर्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकूला।
- 3 उप श्रम आयुक्त (कल्याण), कार्यालय हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकूला।
- 4 सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
- 5 सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।


अधीक्षक (स्था0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।